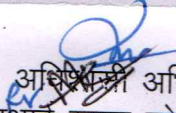


प्रमाण— पत्र

कार्य का नाम:— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चान्दमारी मिसरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.600 है० वनभूमि का लो०नि०वि०, को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घिसरपड़ी में खसरा नं० 228 में 41.250 है० सिविल भूमि उपलब्ध है। ग्राम घिसरपड़ी में बस अड्डे के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खसरा नं० 226 ध में 2.025 है० भूमि बस अड्डे हेतु पूर्व में आवंटित कर दी गई है। प्रस्तावित मार्ग निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घिसरपड़ी में खसरा नं० 228 में 41.250 है० सिविल भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 7.20 है० सिविल भूमि की प्रस्तावित मार्ग निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यकता है।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अभिधीन अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश